- **विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नियमों, कार्यक्रम–प्रारूप, कार्यक्रम शुल्क, नवीन कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षा आदि से सम्बन्धित विस्तृत/संशोधित अद्यतन सूचना समय–समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी तथा अंतिम रूप से मान्य होंगी।**

पुनः पंजीकरण (Re-Registration) सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश

1. पुनः प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमन्य है–
   (अ) ऐसे शिक्षार्थी जो कार्यक्रम की अधिकतम अवधि तक सम्पूर्ण/आंशिक रूप से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में असफल रहे हों।
   (ब) ऐसे शिक्षार्थी जो कार्यक्रम की अधिकतम अवधि तक उसके पाठ्यक्रम में निहित प्रयागात्मक प्रश्न–पत्रों में नियमानुसार उपस्थिति इत्यादि औपचारिकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहे हों।
2. ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने कार्यक्रम के सभी वर्षों/सेमेस्टरों में पंजीकरण नहीं कराया है और कार्यक्रम की अधिकतम अवधि तक उसका सम्पूर्ण कार्यक्रम शुल्क जमा नहीं किया है, वे भी पुनः पंजीकरण हेतु अर्ह हैं। इस शर्त के साथ की उन्हें उस सत्र (जिस कार्यक्रम में वे पुनः प्रवेश ले रहे हैं) की वर्तमान शुल्क दरों के सापेक्ष 20 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
3. पुनः प्रवेश हेतु जमा शुल्क एक क्रमागत शैक्षणिक सत्र अथवा 2 क्रमागत सेमेस्टरों के लिए ही मान्य होगा।
4. एक वर्ष अथवा दो सेमेस्टरों से अधिक, शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की नामावली में नहीं होगा। जैसा कि सं0 3 में कहा गया है।
5. एक वर्ष की यह अतिरिक्त अवधि कार्यक्रम के प्रारम्भिक पंजीकरण की अधिकतम अवधि के समाप्त होने के पश्चात् आगामी सत्र से प्रारम्भ हुई मानी जायेगी।
6. सफलतापूर्वक पूर्ण किए गये पाठ्यक्रम और अधिन्यास में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त क्रेडिट पुनः मान्य अवधि में यथावत बने रहेंगे।
7. यदि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो पुनः प्रवेश की स्थिति में किसी पाठ्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होगी। जिन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुआ होगा उनके लिए उन्हें पाठ्य सामग्री क्रय करनी होगी।
8. जिन कार्यक्रमों में प्रायोगिक कार्य कराया जाता है उनके शुल्क के मानक, सम्बन्धित विद्याशाखा एवं विद्या परिषद द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
9. पुनः प्रवेश के साथ छूटे हुए सत्र का पुनः पंजीयन शुल्क (यदि कोई हो) का ई–चालान **वित्त अधिकारी, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,** इलाहाबाद के पक्ष में ऑन–लाइन वेबसाइट के माध्यम से देय होगा। शिक्षार्थी को अपना नामांकन संख्या, नाम, कार्यक्रम कोड, ई–चालान पर अवश्य लिखना होगा, साथ ही पुनः प्रवेश फार्म पर भी इस पर अंकित करना होगा।
10. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित – प्रवेश तथा पुनः प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियम पूर्ववत् रहेंगे।

नोट : ◆पुनः पंजीकरण की व्यवस्था कार्यक्रम की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् आगामी एक वर्ष के लिए ही मान्य होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि शिक्षार्थी आगामी सत्र में पुनः प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करता है तो उसे उसके बाद इसका लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।

◆सत्र 2013 से पूर्व के नामांकित शिक्षार्थियों को पुनः पंजीकरण का लाभ सत्र 2018–19 में ही देय होगा। इसके पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में पुनः पंजीकरण का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

** समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन के अधीन।

अध्ययन केन्द्र समन्वयकों के लिए महत्त्वपूर्ण अनुदेश

समन्वयक महोदय विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों तथा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। अध्ययन केन्द्र समन्वयक, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित तिथियों के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करें–

प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों की रूप–रेखा

क्र.सं.	प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप	जुलाई सत्र		जनवरी सत्र	
		सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
1	ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका की अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्धता	वर्ष पर्यन्त		वर्ष पर्यन्त	
2	प्रवेश की तिथि	16 फरवरी से 15 सितम्बर		16 सितम्बर से 15 फरवरी	
3	अध्ययन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रवेश फार्म का प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करने की तिथि	22 सितम्बर एवं 22 फरवरी तक			
4	क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रवेश अनुभाग को अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त प्रवेश फार्म का प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करने कि तिथि	30 सितम्बर एवं 02 मार्च तक			
5	परामर्श सत्र संचालन हेतु प्रस्तावित माह।	अक्टूबर–नवम्बर	मार्च–अप्रैल	मार्च–अप्रैल	अक्टूबर–नवम्बर
6	शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र पर अधिन्यास पुस्तिका जमा करने की तिथि।	31 अक्टूबर	31 मार्च	31 मार्च	31 अक्टूबर
7	शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु मूल्यांकित अधिन्यास पुस्तिका वापस करने की तिथि।	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर

8	शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य अध्ययन केन्द्रों पर जमा करने की अन्तिम तिथि।	30 नवम्बर	30 अप्रैल	30 अप्रैल	30 नवम्बर
9	मूल्यांकित परियोजना कार्य के आन्तरिक अंक परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	20 दिसम्बर	20 मई	20 मई	20 दिसम्बर
10	अध्ययन केन्द्रों द्वारा जमा परियोजना कार्य तीन प्रतियों में बाह्य मूल्यांकन हेतु परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	05 दिसम्बर	05 मई	05 मई	05 दिसम्बर
11	बैक परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि।	31 अक्टूबर	31 मार्च	31 मार्च	31 अक्टूबर
12	अध्ययन केन्द्रों द्वारा ऑन लाइन भरे हुए बैक परीक्षा फार्म के प्रिण्ट आउट को शुल्क चालान सहित परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	10 नवम्बर	10 अप्रैल	10 अप्रैल	10 नवम्बर
13	परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर

- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों के ऑन लाइन प्रवेश को उनकी उपस्थिति में ही कन्फर्म करेंगे।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक यह आश्वस्त हो लें कि ऑन लाइन प्रवेश लेने वाला शिक्षार्थी जिस कार्यक्रम में वह प्रवेश लेना चाहता है उसके लिए पूर्णतया अर्ह है। अनर्ह शिक्षार्थी का प्रवेश कदाचित न करे। **अनर्ह शिक्षार्थी के प्रवेश को ऑन लाइन प्रवेश को सुनिश्चित करने की दशा में इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अध्ययन केन्द्र समन्वयक, प्राचार्य एवं स्वयं शिक्षार्थी की होगी और उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नही किया जायेगा और उसका प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जायेगा।**
- **अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थी के ऑन लाइन प्रवेश की सभो औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् उसके ई–फार्म के प्रिण्ट आउट के साथ उसकी योग्यता प्रदायी सभी अंकतालिकाएं एवं उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति एवं एण्टी रैगिंग शपथ फार्म के प्रिण्ट आउट की छाया प्रति को एक साथ संलग्न करते हुए अपने से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर प्रवेश की अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के पश्चात् अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।**
- परामर्श कक्षाओं की सूचना एवं समय–सारणी अध्ययन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएँ और एक प्रति विश्वविद्यालय में स्थापित परामर्श प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराएँ। यदि परामर्श कक्षाओं की समय–सारणी परामर्श सत्र संचालन से पूर्व परामर्श प्रकोष्ठ को प्रेषित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में परामर्श सत्रों के मानदेय का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।
- **विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों/निदेशकों से अपेक्षा है कि परामर्श सत्र की समाप्ति के तीन माह के अन्दर निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार परामर्श देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विलम्ब से प्राप्त परामर्श देयकों के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।**
- अध्ययन केन्द्रो पर परामर्श–सत्र ले रहे प्राध्यापकों का पूर्ण विवरण (नाम, पद, अनुभव, पता एवं मोबाइल नम्बर आदि) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड–पार्सल के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र को निर्धारित तिथि तक अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- अधिन्यास मूल्यांकन हेतु अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श कक्षाओं को ले रहे प्राध्यापकों की सूची परामर्श प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाना है। परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा इन प्राध्यापकों का अनुमोदन माननीय कुलपति जी से प्राप्त किया जायेगा। यही प्राध्यापक अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- अधिन्यास कार्य में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें निरीक्षण हेतु मुख्यालय पर मंगवाई जा सकती है।
- **पूर्व की भांति अध्ययन केन्द्र समन्वयक अपने केन्द्र पर जमा 'अधिन्यास उत्तर पुस्तिका' को मूल्यांकित कराकर निर्धारित तिथि तक अधिन्यास अंक हार्डकापी में एवं ऑन लाइन अनिवार्य रूप से अपने से विश्वविद्यालय को तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।**
- मानदेय इत्यादि बिल के भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र का ही प्रयोग करें और समन्वयक अपने हस्ताक्षर के साथ वाउचर इत्यादि समस्त पत्रजात अवश्य संलग्न करें।
- विशेष परिस्थितियों में अथवा पर्याप्त छात्र संख्या न होने पर विश्वविद्यालय को किसी कार्यक्रम को वर्तमान सत्र में सर्वत्र या किसी विशेष केन्द्र पर बन्द करने या न चलाने का अधिकार होगा। स्नातक विज्ञान की कक्षाएं सीमित केन्द्रों पर ही चलाये जाने की व्यवस्था है।
- अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र आबंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
- **आपके केन्द्र को जिन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु अधिकृत किया गया है, केवल उन्हीं कार्यक्रमों में प्रवेश लें। ऐसे कार्यक्रम जिनमें आपको अनुमति नहीं है, प्रवेश न लें।**